

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की सूचना का प्रस्तुतीकरण

अवधि : 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2006

क्र.सं	सीआईसी द्वारा मांगी गयी सूचना का विवरण	
क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या	32
ख)	उन फैसलों की संख्या, जहां आवेदन में दस्तावेजों के लिए किए गए अनुरोध के वे हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे प्रावधान जिनके अंतर्गत ये फैसले लिए गए थे तथा कितनी बार ऐसे प्रावधानों का अवलंब किया गया ।	सूचना का अधिकार अधिनियम, खण्ड के अनुभाग 8 (j)(1) के तहत 1 तथा अनुभाग 3 के तहत 2
ग)	समीक्षा हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग को भेजी गई अपीलों की संख्या, अपीलों का प्रकार तथा अपीलों के परिणाम	-
घ)	इस अधिनियम के उपयोग के संदर्भ में किसी भी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण ।	
च)	इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जन-प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गयी प्रभार की राशि	रु./ 210/- *
छ)	जन प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के भाव एवं अभिप्राय के प्रयोग एवं कार्यान्वयन हेतु किए गए प्रयासों का विवरण ।	#
ज)	सुधार हेतु अपिल परामर्श, जो विकास हेतु आवश्यक है उन्हें शामिल करना, उन्नति, आधुनिकीकरण अधिनियम के संशोधन अथवा अन्य विधान अथवा सामान्य कानून अथवा अन्य कोई मामला जो सूचना अधिकार के प्रचालन से संबद्ध हो ।	-

जन प्राधिकारी ने इस से संबंधित सूचना वेबसाइट <http://www.barc.ernet.in> पर उपलब्ध करवा दी है और एक जन सूचना अधिकारी एवं चार सहायक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है जिनके संपर्क विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

* दो आवेदकों की जमा किये गये कुल रु. 210/- में से रु. 20/- लौटा दिये गये क्योंकि उनके द्वारा पूँछे गये प्रश्न सूचना का अधिकार अधिनियम 8 (j)(i) एवं अधिनियम 3 के अंतर्गत नहीं रखे जा सकते थे ।